

Form No-III

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत



उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

रायसिंहनगर

संदीपसिंह बनाम रानी कौर

केसम मुकदमा केवियट अन्तर्गत 148 ए सीपीसी 2025/244 नम्बर 8 सन् 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इण्डियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी किए
03.06.2025	<p>प्रार्थी संदीपसिंह पुत्र श्री लखवीरसिंह जाति मजहबी साकिन 14 एफ सेकिण्ड तहसील व जिला श्रीगंगानगर की ओर से श्री सतपाल बिश्नोई अधिवक्ता ने केवियट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। केवियट प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थना पत्र से संबंधित वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर पत्रावली मूल प्रकरण के साथ पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">               (सुभाष चन्द्र)              आर.ए.एस.              उपखण्ड अधिकारी              रायसिंहनगर           </p> <p><u>29/06/25</u> जमीन जर्नाल दाखिल। जर्नाल के जफ्त के अंकित अधिवक्ता कोई काउन्सिल। जफ्त जमत की इका। जकाज के तीन भाग के रूप में खप दे-युक्त है। ऐसी स्थिति में जर्नाल के जफ्त पर कोई कर्पणित अजेन्डित-खी है। जर्नाल का जफ्त खप दे किया जा रहा है। पत्रावली फाइल में भुक्त देमल दारीवत फाइल के अन्तर्गत सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">               उपखण्ड अधिकारी              रायसिंहनगर           </p>	

